IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं की भागीदारी

शिवानन पयासी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. संध्या शुक्ला
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांशः भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी विशालता के कारण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्व के अनेक देशों में जनतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान है किन्तु भारतीय जनतंत्र अपना पृथक अस्तित्व रखता है क्योंकि यहाँ के गाँवों में स्थानीय स्तर पर पंचायतें जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। लोकतंत्र की सफलता का मूलतंत्र भी यही है कि ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की पूर्ण व प्रत्यक्ष भागीदारी हो। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सटीक प्रभाव अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, जितना भारत में स्थानीय स्तर पर। इसका कारण यह है कि यहाँ जनता और उसके प्रतिनिधियों, शासक एवं शासितों के मध्य सम्पर्क अपेक्षाकृत, निरंतर सतर्कतापूर्ण संचालित रहता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के प्रमुख अस्त्र वयस्क मताधिकार को इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर ही स्वीकार किया था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफलतापूर्ण संचालन के लिए जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इस उदात्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गाँवों तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया।

मुख्य शब्दः लोकतांत्रिक, व्यवस्था, पंचायतीराज, महिला, स्थानीय स्वाशासन भारत आदि।

भूमिकाः

''हम लोकतांत्रिक शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते, जब तक हम यह न मान ले कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नहीं है और उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।[1] हेराल लास्की का उक्त कथन लोकतंत्र के उन्नयन से विकेन्द्रीकरण की सार्थकता को प्रतिपादित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतीराज की वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के द्वारा तक लाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायतीराज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आत्मा भी मानी जा सकती है।

स्थानीय शासन की व्यवस्था के बिना कोई भी लोकतंत्र वास्तविक नहीं कहा जा सकता। इसलिए लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रभावकारी और सक्षम स्थानीय शासन सार्वभौम रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंग के रूप में विश्व के विकासशील देशों की मांग है।

भारतवर्ष में प्राचीन काल से गणतंत्र विद्यान थे।[2] ब्रिटिश शासन में पंचायतों तथा स्थानीय संस्थाएँ धीरे–धीरे शक्तिहीन होती चली गई। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की प्रारंभिक इकाई के रूप में पंचायतों की व्यवस्था की गई। जनसहभागिता बढ़ाने हेतु 1952 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना प्रारंभ की गई। यह योजना अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी।[3]

सन् 1978 में पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायतों के द्विस्तरीय ढाँचे तथा पंचायतों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया।[4] 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त जी.वी.के. राव

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सक्रिय करने की अनुशंसा की।[5] सन् 1986 में डॉ. लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने पंचायतों तथा उनके चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण अनुशंसा की।[6]

सन् 1991 में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सक्रिय करने के लिए 73वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। 24 अप्रैल, 1993 से यह संशोधन पूरे देश में लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायतों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गई। इसमें मुख्यतः पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण सम्मिलित है।[7]

भारत में पंचायती राजव्यवस्था एवं महिलाओं की भागीदारीः–

स्वतंत्रता के बाद भी पंचायतों के विकास व उनसे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कतिपय संक्षिप्त प्रयास पंचायतें गणित करने की अपेक्षा केन्द्र सरकार ने सामुदायिक योजना कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम चलाए। स्थानीय जनता को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाने के लिए तदार्थ समितियाँ जिनके अधिकांश मनोनीत सदस्य अधिकारी होते थे, अवश्य गठित की गई, लेकिन इनमें नौकरशाही का ही वर्चस्व था।

इसी आयाम को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने सामुदायिक परियोजनाओं के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन समिति गठित की। इस मिति ने 24 नवंबर, 1957 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बलवंत राय मेहता समिति ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत के तीनों स्तरों पर दो महिला सदस्यों को मनोनीत करने का सुझाव दिया। समिति ने यह भी सुझाया कि इन दो महिलाओं की चयन करते समय यह देखना अनिवार्य है कि इनकी महिला एवं बाल कल्याण में रुचि हो। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी सुनिश्चित करने का यह पहला प्रयास था लेकिन आश्चर्य यह रहा कि इन महिलाओं का निर्वाचन के प्रावधान के स्थान पर यह मनोनयन का प्रयास था।[8]

12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया। उसके पश्चात् विभिन्न राज्यों ने अपने–अपने पंचायती राज अधिनियम बनए और लगभग सभी राज्यों ने अपने अधिनियमों में महिलाओं की सदस्यता का प्रावधान किया।

पंचायतीराज अधिनियम में महिलाओं की विभिन्न जिलों यथा– आन्धप्रदेश में आरक्षण का प्रावधान था। आसम में ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला के सहयोजन का प्रावधान था। बिहार में पंचायत समिति स्तर पर व जिला स्तर पर तीन महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान था। गुजरात में पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान था। जम्मू–कश्मीर में जिला बोर्ड में एक महिला को मनोनीत करने का प्रावधान था। केरल में एक स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही थी, जिसमें एक महिला को मनोनीत करने का प्रावधान था। मध्यप्रदेश में ग्राम व जनपद स्तर पर दो–दो महिलाओं को मनोनीत करने व जिला स्तर पर एक महिला को सदस्य बनाने का प्रावधान था। तमिलनाडू ग्राम स्तर पर एक महिला को सदस्य बनाने का प्रावधान था। इसी प्रकार राजस्थान में दो महिलाओं को व उड़ीसा में एक महिला को सदस्य बनाने का प्रावधान था। पश्चिम बंगाल में प्रावधान तो था किन्तु कितना था इसका उल्लेख नहीं किया था केन्द्रशासित प्रदेश जैसा दिल्ली में भी महिला भागीदारी का प्रावधान अधिनियम में था।[9]

सन् 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशसाओं को ध्यान में रखकर आंध्रप्रदेश में पंचायत समितियों और जिला परिषद् कानून तथा आंध्रप्रदेश ग्राम पंचायत के तीनों स्तरों पर दो–दो महिलाओं को सदस्य बनाए जाने का प्रावधान था। शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित कार्यों की स्थायी समितियों में अनुसूचित जाति से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि को चुने

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

जाने का प्रावधान था। इस व्यवस्था से महिलाओं को कोई वास्तविक राजनीतिक आधार प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि न तो महिलाएँ ही पंचायतों में भाग लेने में अधिक रुचि रखती थी और न पुरुष ही चाहते थे कि उनकी भागीदारी इस ओर बढ़े। महिलाओं की वैधानिक स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने अत्यन्त सावधानीपूर्वक सदियों से चले आ रहें स्त्री और पुरुष के अधिकारों के भेदभाव को सुनिश्चित तौर पर मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विशेष प्रावधान जोड़कर समाप्त किया। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से स्त्री और पुरुष को समान स्तर व अधिकार प्रदान किये गए हैं। लिंग के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के पीड़ित, पिछड़ा वर्ग महिलाओं बालकों के लिए विशेष अधिकार सरकार को दिये गये हैं। ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी महत्ता को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने पंचायत राज में उसकी सहभागिता को आवश्यक माना है। इसलिए पंचायत राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33 प्रतिशत आरक्षित कर दिया है।

ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारीः–

देश के दूसरे विधानसभा चुनाव में जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर था, 15वीं लोकसभा के चुनाव में 59 महिलाओं का निर्वाचित होना अपने आप में एक सुखद स्थिति है, किन्तु ध्यान देखने योग्य तथ्य यह है कि एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाले देश में मात्र 59 महिला निर्वाचित होती हैं वहाँ उस आधी जनसंख्या की राजनीतिक चेतना एवं जागृति पर प्रश्न चिन्ह् लगाया जाना स्वाभाविक है।

ग्रामसभाओं में महिलाओं की भूमिका पर विचार करते हुए यह देखना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कार्यकल्प के लिए मौजूद तंत्र क्या है? सरकारी ढ़ाँचे के तहत ई–पंचायत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और भारत निर्माण जैसी फ्लैगशिप योजनाएँ हैं इन सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। जिसके अन्तर्गत जनकल्याण को केन्द्र में रखते हुए इसे बेहतर ढ़ंग से कार्यान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

पंचायती राज के संदर्भ में महिलाओं की भूमिकाः

22 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद महात्मा गाँधी द्वारा संकल्पित पंचायत सरकार अर्थात् स्थानीय स्वशासन की सरकार की धारणा ने प्रथम बार एक मूर्त रूपधारण किया, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का यह स्वप्न था कि एक हरिजन वाला को भारत के राष्ट्रपति भवन का स्वामी बनाया जाय जिससे भारतीय लोकतंत्र का मस्तक गौरवान्वित हो सके। प्रस्तुत कदम इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण चरण है। यह सर्वविदित तथ्य है कि नवीन संवैधानिक व्यवस्था में 33 प्रतिशत स्थान स्वाशासन की धारणा को यथार्थ के रूपान्तरित किया जा सके। पंचायतों का कार्यकाल सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके लिए पृथक से चुनाव एवं वित्त आयोग की भी व्यवस्था की गई है।

निष्कर्षः

लोकतंत्र मूलतः शासन के विकेन्द्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है। लोकतंत्र की जड़े पंचायतीराज व्यवस्था में निहित है। यद ग्रामीण स्तर पर स्थानीय संस्थाएँ कमजोर हैं तो हमारा शीर्ष शासन सफलता अर्जित नहीं कर सकता। अतः स्थानीय शासन सुदृढ़ होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में जनता की समस्या और उन समस्याओं के समाधान हेतु जनता की पूर्ण

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

भागीदारी आवश्यक है और तभी संभव है, जब देश की ग्रामीण जनता के प्रतिनिधियों की इसमें सक्रिय सहभागिता हो। विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्थानीय स्तर के लोगों की अधिक सक्रियता वांछनीय है क्योंकि वे इन समस्याओं में केवल अधिक प्रभावित रहते हैं अपितु वे सहज समाधान भी सुझा सकते हैं। यदि महिलाओं को इन समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय प्रक्रिया में अधिक संख्या रूप से सम्मिलित किया जाए तो व्यवस्था को सही अर्थ में लोकतांत्रिक कहा जा सकता है।

संदर्भ स्रोतः–

[1]. पड़लिया, मुन्नी, ''भारत में पंचायती राजव्यवस्था'' अनामिका पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दरियागंज नई दिल्ली, 2008, पृ. 09
[2]. पड़लिया, मुन्नी, ''भारत में पंचायती राजव्यवस्था'' अनामिका पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दरियागंज नई दिल्ली, 2008, पृ. 98
[3]. सुराणा राज कुमारी, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव–पंचायतीराज'' राज पब्लिकेशन हाउस, जयपुर संस्करण 2000, पृ. 50
[4]. सुराणा राज कुमारी, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव–पंचायतीराज'' राज पब्लिकेशन हाउस, जयपुर संस्करण 2000, पृ. 50
[5]. शर्मा, वीरेन्द्र, शर्मा, ऋचा, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज, पृ. 103
[6]. शर्मा, वीरेन्द्र, शर्मा, ऋचा, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज, पृ. 96
[7]. शर्मा, वीरेन्द्र, शर्मा, ऋचा, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज, पृ. 97
[8]. शर्मा, वीरेन्द्र, शर्मा, ऋचा, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज, पृ. 106
[9]. शर्मा, कविता, ''स्त्री सशक्तिकरण के आयाम'', पृ. 124